ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ. दौलत सिंह कोठारी को शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसीलिए इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। इन सदस्यों की सूची निम्नवत है–

1. प्रो. दौलत सिंह कोठारी–अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2. श्री जे. पी. नायक–सदस्य एवं सचिव, अध्यक्ष शिक्षा नियोजन, गोखले संस्थान, पूना
3. श्री जे. एफ. मैक्डूगल–सह-सचिव, संचालक शिक्षा विभाग यूनेस्को, पेरिस
4. श्री ए. आर. दाऊद–सदस्य, निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, नई दिल्ली
5. श्री एच. एल. एलविन–सदस्य, शिक्षा संस्थान, लन्दन विश्वविद्यालय, लन्दन
6. श्री सादातोशी–सदस्य, टोकियो
7. श्री आर. ए. गोपल स्वामी–सदस्य
8. डा. वी. एस. झा–सदस्य, निदेशक निदेशालय, कामनवेल्थ, लन्दन
9. डा. एम. बी. माथुर–सदस्य, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
10. डा. पी. एन. कृपाल–सदस्य, शिक्षा सचिव, भारत सरकार
11. डा. बी. पी. पाल–सदस्य, निदेशक भारतीय कृषि संस्थान, नई दिल्ली
12. कु. एस. पनान्दीकर–सदस्य, अध्यक्ष शिक्षा विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
13. प्रो. रोगार रेवेल–सदस्य, निदेशक हावर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज
14. डा. के. जी. सैयदेन–सदस्य, निदेशक एशियन शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली
15. डा. टी. सेन–सदस्य, उपकुलपति जादवपुर, विश्वविद्यालय
16. प्रो. एस. ए. सोमोवस्की–सदस्य, प्रोफेसर मास्को विश्वविद्यालय, मास्को
17. श्री. एम. जीन थॉमस–सदस्य, निदेशक शिक्षा, फ्रांस पेरिस

इस आयोग ने भारत सरकार को **राष्ट्रीय शिक्षा** के प्रारूप को विकसित करने का सुझाव दिया, जिसके लिए निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामान्य अधिनियम व नीतियों को विकसित किया। उसके **कार्यक्षेत्र** को और अधिक स्पष्ट रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है–

(1) तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना उसकी तत्कालीन कमियों व व्याप्त असन्तोष के कारणों का पता लगाना व उसमें सुधार के लिए सुझाव देना।

(2) पूरे देश के लिए शिक्षा के आयोजन और प्रशासन सम्बन्धी तत्व निश्चित करना व इस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देना।

(3) पूरे देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना, जो देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास में सहायक हो और यह प्रणाली ऐसी हो, जो भारतीय शिक्षा के परम्परागत मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे व भविष्य के निर्माण में सहायक हो।

(4) पूरे देश में किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणात्मक सुधार के लिए उपायों की खोज करना व इस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देना।

आयोग का प्रतिवेदन (Commission's Report)

आयोग के सदस्यों ने सम्पूर्ण देश के राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों का भ्रमण किया और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा तकनीकी व अन्य संस्थानों का निरीक्षण करके, छात्रों तथा शिक्षकों से साक्षात्कार व प्रशासकों व शिक्षाविदों से विचार विमर्श करने के बाद, इसके कार्यक्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए **13 कार्यदलों** (Task Forces) व **7 कार्य समितियों** (Working Groups) का संगठन किया, जिन्होंने 21 माह तक शिक्षा की सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में सभी प्रकार की सूचनायें संग्रहीत की। इसके अतिरिक्त आयोग ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित एक लम्बी प्रश्नावली तैयार कराकर इसे शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्ग के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा। 2400 व्यक्तियों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के बाद 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन 'शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति' (Education and National Development) सरकार को भेजा।

यह प्रतिवेदन 692 पृष्ठों का एक वृहद दस्तावेज है जो तीन खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में 6 अध्याय हैं, जिनमें सभी स्तरों की शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण का सामान्य विवेचन किया गया है, राष्ट्रीय लक्ष्य एवं शिक्षा का स्वरूप, संरचनात्मक पुनर्संगठन, शिक्षकों की समृद्धि, विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी नीति व शिक्षा के अवसरों की समानता की चर्चा की गई है। द्वितीय खण्ड में शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं क्षेत्रों का समावेश किया गया है। और तृतीय खण्ड में आयोग ने जो सुझाव व सिफारिशें दी हैं, उनको क्रियान्वित करने की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।

आयोग के सुझाव व संस्तुतियाँ (Recommendations and Suggestions of Commission)

कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी संस्तुतियों को आठ खण्डों में प्रस्तुत किया है, जो निम्न प्रकार है—

1. राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य (Aims of National Education)
2. शिक्षा के प्रशासन, वित्त व नियोजन सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Administration, Finance and Planning)

विद्यालयी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व विश्वविद्यालयी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में—

3. कृषि शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Agricultural Education, Vocational and Technical Education)
4. दस वर्ष के लिए समान पाठ्यक्रम (Counion Curriculum for 10 years)

अथवा

शिक्षा की नवीन संरचना व स्तर (New Educational Structure and Standard)

5. शिक्षक स्तर या शिक्षक की स्थिति व सेवा शर्तों सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Teacher's Status and Service Conditions)
6. शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Teacher Education)
7. शैक्षिक अवसरों की समानता सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Equalisation of Educational Opportunities)

8. स्त्री शिक्षा प्रौढ़ व समाज शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Women Education, Adult and Social Education)

(I) शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य (AIMS OF NATIONAL EDUCATION)

आयोग का विचार है कि शिक्षा को लोगों के जीवन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से सम्बन्धित होना चाहिए, ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास करके राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में 'शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम' निश्चित करके इनमें से प्रत्येक की प्राप्ति के लिए कार्य निश्चित किए। यह **पंच सूत्रीय** कार्यक्रम निम्न प्रकार है–

1. शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना।
2. शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना।
3. शिक्षा द्वारा लोकतन्त्रीय गुणों का विकास करना।
4. शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना।
5. शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना।

1. शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना

शिक्षा का सम्बन्ध उत्पादकता से जोड़ने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आवश्यक हैं–

(i) विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए और इस शिक्षा का उपयोग उत्पादन कार्यों में किया जाए।

(ii) कार्य अनुभव (Work Experience) को सभी प्रकार की शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रारम्भ किया जाए, जिसमें शिल्पविज्ञान तथा औद्योगीकरण हेतु उत्पादक प्रक्रियाओं में विज्ञान के उपयोग का हर सम्भव प्रयास किया जाए।

(iii) माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाया जाए।

(iv) उच्च शिक्षा में कृषि विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल देने के साथ ही विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में शोध कार्यों को विकसित किया जाए।

2. शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना (To Strengthen Social and National Unity by Education)

आयोग ने अपनी जाँच में पाया कि तत्कालीन शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय एकता तथा एकीकरण को कायम रखने में विफल रही है। अतः देश की प्रगति हेतु सामाजिक व राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए आयोग ने निम्न सुझाव दिये–

(i) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समान स्कूल प्रणाली की स्थापना की जाए, जिसमें शिक्षा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो और अच्छी शिक्षा आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर उपलब्ध हो।

(ii) शिक्षा के सभी स्तरों पर समाजसेवा व राष्ट्रसेवा कार्य अनिवार्य हो।

(iii) सभी संघीय भाषाओं का विकास किया जाए तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी के विकास हेतु विशेष प्रयत्न किए जायें।

(iv) सभी बच्चों में राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे कार्यक्रमों का विद्यालयों में आयोजन किया जाए, जिससे बच्चे अपनी राष्ट्रीय परम्पराओं को समझ सकें व इसके प्रति उनमें सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास हो।

3. शिक्षा द्वारा लोकतन्त्रीय मूल्यों का विकास करना (Establishment of Democratic Values by Education)

आयोग के विचार में लोकतन्त्र की सफलता हेतु शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही समाज में लोकतन्त्रीय मूल्यों की स्थापना कर सकती है। अतः देश के नागरिकों में लोकतन्त्रीय मूल्यों के विकास हेतु निम्न सुझाव दिये–

(i) प्राथमिक शिक्षा अर्थात् 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

(ii) विद्यालयों में समानता, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता, भाईचारा व सहयोग की भावना का वातावरण उत्पन्न किया जाए।

(iii) सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर दिये जायें।

(iv) प्रौढ़ शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार किया जाए।

(v) विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिनसे छात्रों में लोकतन्त्रीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न हो तथा वे तदनुकूल व्यवहार करें।

4. शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना (Modernization of Nation by Education)

राष्ट्र के आधुनिकीकरण से आयोग का तात्पर्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से देश का आर्थिक विकास करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने से है। इसके लिए उसने निम्नलिखित सुझाव दिये–

(i) विज्ञान के इस युग में ज्ञान की तीव्रता व प्रसार की गति के साथ शिक्षा को भी गतिशील बनाये रखने का प्रयास करना।

(ii) देश के सभी बालकों (6 से 14 वर्ष तक के) को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना।

(iii) जनसाधारण के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाया जाए।

(iv) उच्च स्तर पर विज्ञान व तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए तथा छात्रों में स्वतन्त्र चिन्तन व निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाए।

(v) छात्रों में परिवर्तनशील होते वातावरण की ओर [illegible] की योग्यता पैदा करना।

5. शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना (Development of Social, Moral and Spiritual Values)

आयोग के अनुसार निम्न बातों द्वारा छात्रों का नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है–

(i) शिक्षा में नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ii) छात्रों को सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए

(iii) प्राथमिक शिक्षा में महान व्यक्तियों, सन्तों और आदर्श चरित्रों की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए।

(iv) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा (Value Based Education) प्रदान की जानी चाहिए।

(II) शिक्षा के प्रशासन, वित्त व नियोजन सम्बन्धी सुझाव (SUGGESTIONS REGARDING ADMINISTRATION, FINANCE AND PLANNING)

चूँकि आयोग का कार्यक्षेत्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी स्तर तक की शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन लाना था, इसलिए उसने सभी स्तरों की शिक्षा के पुनर्गठन हेतु निम्न सुझाव दिये—

1. विद्यालयी शिक्षा के प्रशासन व निरीक्षण सम्बन्धी सुझाव

(i) केन्द्र में 'राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड' (National Board of School Education) और 'भारतीय शिक्षा सेवा' (Indian Education Service) का गठन किया जाय।

(ii) कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राथमिक शिक्षा के दो स्तर बना दिये जायें। पहले भाग में कक्षा–1 से 5 तक तथा दूसरा भाग कक्षा 6 से 8 तक होना चाहिए।

(iii) राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा (State Education Service) तथा 'राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद्' (State Board of School Education) का गठन किया जाना चाहिए।

(iv) देश के समस्त विद्यालयों–सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, की भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रबन्ध समितियों को समाप्त कर 'सामान्य विद्यालय प्रबन्ध पद्धति' का विकास किया जाए और इनकी प्रबन्ध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(v) विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) प्रशासन से निरीक्षण कार्य को अलग रखा जाना चाहिए। जिले के विद्यालयों का प्रशासन कार्य जिला विद्यालय बोर्ड के हाथों में हो और उनके निरीक्षण का कार्य 'जिला शिक्षा अधिकारी' के हाथों में हो। परन्तु दोनों में सहयोग अवश्य होना चाहिए।

2. पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Curriculum)

आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु सिद्धान्त निश्चित किया। तत्पश्चात् इन सिद्धान्तों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके साथ ही आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। आयोग के अनुसार विद्यालयी पाठ्यचर्या का निर्माण बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों (उत्पादन व सहसम्बन्ध) आदि के आधार पर किया जाय, परन्तु किसी भी स्तर की शिक्षा को बेसिक शिक्षा न कहा जाय। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए तथा इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा हेतु एक **आधारभूत पाठ्यचर्या** के साथ **व्यावसायिक वर्ग की पाठ्यचर्या** स्थानीय विशेष आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। विशिष्टीकरण की व्यवस्था उच्च माध्यमिक स्तर पर ही की जानी चाहिए।

विभिन्न स्तरों पर **पाठ्यचर्या** की रूपरेखा अग्रवत् है—

(i) पूर्व प्राथमिक स्तर—(i) खाने व पहनने के कौशल (ii) सफाई (iii) बातचीत, सामाजिक व्यवहार (iv) खेलकूद (v) सृजनात्मक कार्य।

(ii) प्राथमिक स्तर—(i) मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) (ii) व्यावहारिक गणित (iii) भौतिक पर्यावरण का अध्ययन (iv) सृजनात्मक क्रियाएँ (v) कार्यानुभव (vi) समाजसेवा (vii) स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद व व्यायाम आदि।

(iii) उच्च प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक स्तर—(i) मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी (iii) गणित (iv) विज्ञान (v) सामाजिक अध्ययन (vi) कला (vii) कार्यानुभव (शिल्पकार्य) (viii) समाज सेवा (ix) स्वास्थ्य शिक्षा (x) धार्मिक शिक्षा।

(iv) माध्यमिक स्तर—(i) मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) (ii) हिन्दी अथवा कोई अन्य संघीय भाषा (iii) कोई यूरोपीय भाषा (iv) गणित (v) सामान्य विज्ञान (vi) सामाजिक विज्ञान (vii) कला (viii) कार्यानुभव (कृषि कार्य आदि) (ix) समाज सेवा (x) स्वास्थ्य शिक्षा (xi) नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा।

(v) उच्चतर माध्यमिक स्तर—(i) व (ii) आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, आधुनिक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा में से कोई दो भाषाएँ (iii) तीसरी भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, जीवविज्ञान, भूगर्भशास्त्र व ग्रहविज्ञान में से कोई तीन विषय। इसके अतिरिक्त (vi), (vii), व (viii) विषय के अन्तर्गत कार्यानुभव, समाज सेवा व स्वास्थ्य शिक्षा होंगे।

(vi) त्रिभाषा सूत्र का संशोधित स्वरूप—आयोग ने प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र में संशोधन कर उसे निम्नलिखित रूप में लागू करने का सुझाव दिया—

(i) मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा)

(ii) संघ की राज भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी

(iii) कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा, जो प्रथम दो में न दी गई हो।

3. विद्यालयी शिक्षा की शिक्षण विधियों सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Teaching Methods in School Education)

शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

(i) शिक्षण पद्धति में हो रहे निरन्तर परिवर्तनों के अनुसार शिक्षण विधियाँ भी लचीली, गतिशील, क्रियाप्रधान व रोचक होनी चाहिए।

(ii) शिक्षा को आधुनिक व प्रगतिशील बनाने हेतु शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस दिशा में कार्यशालाओं व संगोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए।

(iii) शिक्षकों को शिक्षण सम्बन्धी सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही उचित निर्देशन भी मिलना चाहिए। इस निर्देशन प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए, ताकि शिक्षक समुचित सहायक सामग्री का प्रयोग करने में सक्षम हों।

(iv) शिक्षण विधियाँ बाल मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए तथा इन विधियों द्वारा बच्चों को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के विकास हेतु अवसर मिलने चाहिए।

(v) आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से पाठों का प्रसारण किया जाना चाहिए।

(vi) विद्यार्थियों के लिए इन पाठों का प्रसारण विद्यालय समय में किया जाय तथा शिक्षकों के लिए विद्यालय समय से पहले या बाद में।

4. पाठ्यपुस्तकों से सम्बन्धित सुझाव (Suggestions Regarding Textbooks)

आयोग ने पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु राष्ट्रीयस्तर पर व्यापक योजना बनाये जाने व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के सिद्धान्तों को अपनाये जाने का सुझाव दिया व इन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, परीक्षण व मूल्यांकन हेतु राज्य सरकारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के लेखन हेतु प्रतिभावान व्यक्तियों को पारिश्रमिक दिये जाने की भी व्यवस्था का सुझाव दिया गया, विशेषकर विज्ञान व तकनीकी की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु एक स्वायत्त संस्था के गठन का सुझाव दिया गया।

5. विद्यालयी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सम्बन्धी सुझाव (Suggestions about Guidance and Counselling in School Education)

प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो विद्यालय में मन न लगना, कोई विषय समझ में न आना, विद्यालय में समायोजन न कर पाना आदि, अतः इन शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु शैक्षिक निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। अतः इस सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सुझाव दिये हैं—

(i) छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षिक निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही की जानी चाहिए।

(ii) सभी जिलों में कम से कम एक विद्यालय में निर्देशन की समुचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

(iii) शिक्षकों को सेवामध्य कार्यक्रम (Inservice Programme) के अन्तर्गत निर्देशन व परामर्श में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(iv) शैक्षिक निर्देशन द्वारा विशिष्ट बालकों हेतु विशेष शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) निर्देशन में प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था, राजकीय मार्गदर्शन ब्यूरो व प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में की जानी चाहिए।

6. विद्यालयी शिक्षा में मूल्यांकन (Evaluation in School Education)

आयोग के अनुसार शिक्षा प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन हेतु सतत् प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें छात्रों का मूल्यांकन पूरे वर्ष चलना चाहिए। इसमें भी आन्तरिक मूल्यांकन को विशेष महत्व देना चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आन्तरिक होना चाहिए तथा प्राथमिक स्तर के अन्त में जिला स्तर पर बाह्य परीक्षा की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। छात्रों की जिन उपलब्धियों का मूल्यांकन लिखित परीक्षाओं द्वारा सम्भव न हो, उनका मापन मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा किया जाना चाहिए। आन्तरिक मूल्यांकन में सतत् अभिलेख को तथा बोर्ड की परीक्षा में ग्रेड प्रणाली को महत्व देना चाहिए।

7. विद्यालयी शिक्षा के प्रसार हेतु सुझाव (Suggestions for Expansion of School Education)

आयोग ने विद्यालयी शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों के प्रसार (संख्यात्मक वृद्धि) हेतु विभिन्न सुझाव दिये हैं—

(i) पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रसार (Expansion of Pre-Primary Education)—इस स्तर पर पर्याप्त प्रचार व प्रसार हेतु प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार केन्द्र' स्थापित किये जायें जो अपने-अपने क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उत्तरदायी हों तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण व प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों (Refresher Courses) की व्यवस्था करें, ताकि अधिक से अधिक प्राथमिक स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। इस दिशा में व्यक्तिगत संस्थाओं को अनुदान हेतु भी प्रेरित किया जाय।

(ii) प्राथमिक शिक्षा का प्रसार (Expansion of Primary Education)—इस स्तर पर 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अधिक तेजी से प्राथमिक स्कूल खोले जाने तथा अध्यापन व अवलोकन की समस्या को रोकने का सुझाव दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सभी बच्चों को एक किमी. की दूरी के अन्दर प्राथमिक व 3 किमी. की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराये जाने तथा जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने की स्थिति में नहीं है, उन्हें किसी हस्तकार्य में निपुण बनाये जाने की आवश्यकता है। पिछड़ी व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोलने व मंद बुद्धि व विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने का भी आयोग ने सुझाव दिया।

(iii) माध्यमिक शिक्षा के प्रसार सम्बन्धी सुझाव (Suggestions for Expansion of Secondary Education)—माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिये हैं—

(i) प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की योजना बनाकर उसे 10 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाए। इस हेतु प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाय तथा इस दिशा में किये गये व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाय।

(ii) लड़कियों के लिए और अधिक माध्यमिक विद्यालय खोले जायें, दूर से आने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास बनाए जायें उनके लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क की जाए और निर्धन छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ भी दी जायें।

(iii) माध्यमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय व अवरोधन को रोका जाए। अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों की माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु विशेष योजनायें बनाई जायें।

(iv) अंशकालिक माध्यमिक शिक्षा की भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाए विशेषकर व्यावसायिक वर्ग की।

(v) सह-शिक्षा के लिए लोगों को तैयार किया जाय।

8. विश्वविद्यालयी शिक्षा के सन्दर्भ में आयोग के सुझाव (Commission Suggestions in Reference of University Education)

कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा पर भी विस्तार से विचार किया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के सन्दर्भ में निम्न सुझाव दिये—

(I) विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Administration of University Educations)—आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अग्र सुझाव दिये—